MESCO STEEL

मिडईस्ट इंटीग्रेटेड स्टील्स लिमिटेड

सीआईएन : L74899DL1992PLC050216
पंजीकृत कार्यालय : एच–1, जमरूदपुर, कम्युनिटी सेंटर, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली–110 048
फोन नंबर: 011–29241099, 41587085, 40587083
वेबसाइट: www.mescosteel.com

सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों की 33वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शनिवार, **29 अगस्त, 2026 को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी ") / अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के ज़रिए जनरल सर्कुलर 2/2022 और 19/2021, एमसीए द्वारा जारी अन्य सर्कुलर और सेबी के 13 मई, 2022 के सर्कुलर के अनुपालन में 33वीं एजीएम** की सूचना में बताया गया सामान्य और विशेष कामकाज को पूरा करने के लिए आयोजित की जाएगी। एजीएम के लिए कंपनी का पंजीकृत कार्यालय ही माना गया स्थान होगा।

33वीं एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी, जिसमें बैठक में किए जाने वाले कामकाज और वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट (रिमोट ई–वोटिंग के निर्देशों सहित) शामिल है, उन सदस्यों को भेज दी गई है जिनकी ईमेल आईडी संचार के लिए कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास रजिस्टर्ड हैं। जिन लोगों ने अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं कराई हैं, वे वार्षिक रिपोर्ट 2026 की कॉपी कंपनी की वेबसाइट (www.mescosteel.com), स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) और एनएसडीएल की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) से प्राप्त कर सकते हैं।

कंपनीज़ एक्ट, 2013 (एक्ट) की धारा 91 और सेबी(एलओडीआर) रेगुलेशंस, 2015 (संशोधित) के तहत, 33वीं एजीएम के लिए कंपनी का "रजिस्टर ऑफ मेंबर्स" और "शेयर ट्रांसफर बुक्स" रविवार, 23 अगस्त 2026 से शनिवार, 29 अगस्त 2026 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

कंपनीज़ एक्ट, 2013 की धारा 108 और कंपनीज़ (मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स, 2014 (कंपनीज़ (मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन) अमेंडमेंट रूल्स, 2015 द्वारा संशोधित) के नियम 20 और सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 (संशोधित) के रेगुलेशन 44 के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट करने का अधिकार ("रिमोट ई–वोटिंग") इस्तेमाल करने की सुविधा दे रही है। कंपनी ने अपने सदस्यों को ई–वोटिंग सुविधा देने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएं ली हैं।

रिमोट ई–वोटिंग सुविधा बुधवार, 26 अगस्त 2026 को सुबह 9:00 बजे शुरू होगी और शुक्रवार, 28 अगस्त 2026 को शाम 5:00 बजे खत्म होगी। बताई गई तारीख और समय के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। जिस व्यक्ति का नाम कट–ऑफ तारीख, यानी 22 अगस्त 2026 को "रजिस्टर ऑफ मेंबर्स" या "बेनिफिशियल ओनर्स" में है, वही रिमोट ई–वोटिंग/मीटिंग में वोटिंग की सुविधा का लाभ उठा सकेगा।

कोई व्यक्ति जो बैठक का नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट–ऑफ तारीख को शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.co.in य और admin@skylinerta.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यदि आप पहले से ही ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ रजिस्टर्ड हैं, तो आप अपना वोट डालने के लिए अपनी मौजूदा लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने बैठक से पहले रिमोट ई–वोटिंग के ज़रिए अपना वोट दिया है, वे बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

अगर कोई सवाल हो, तो आप शेयरहोल्डर्स के लिए "अक्सर पूछे जाने वाले सवाल" (FAQs) और शेयरहोल्डर्स के लिए ई–वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं, जो www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध हैं। इसके अलावा, आप टोल–फ्री नंबर 1800–222–990 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे को evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार ,
मिडईस्ट इंटीग्रेटेड स्टील्स लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षर/–
रीता सिंह, निदेशक
डीआईएन : 00062263

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04.08.2026

एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड

(एनटीपीसी लिमिटेड की सहायक कम्पनी)

सीआईएन : L40100DL2022GOI396282
पंजीकृत कार्यालय: एनटीपीसी भवन, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003
टेलीफोन नं.: 011-24360959, फैक्स: 011-24360241, ई-मेल: ngel@ntpc.co.in, वेबसाइट: www.ngel.in

चौथी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) तथा रिमोट ई-वोटिंग जानकारी के संबंध में सूचना

1. एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के शेयरधारकों की चौथी वार्षिक आम बैठक (एजीएम), सूचना दिनांक 04 अगस्त, 2026 में दर्शाए गए व्यापार के लेन-देन के लिए **शुक्रवार, 28 अगस्त, 2026 को प्रातः 11.00 बजे (आईएसटी)** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
2. कार्पोरेट कार्य मंत्रालय तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी लागू परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट, एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु निदेशक मंडल की रिपोर्ट दिनांक 5 अगस्त, 2026 को कम्पनी के शेयरधारकों को उनकी पंजीकृत ई-मेल आईडी पर ई-मेल द्वारा भेज दी गई है और जिनकी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं है, उन शेयरधारकों के पंजीकृत पतों पर पत्रों के माध्यम से इन दस्तावेजों के वेब-लिंक भेज दिए गए हैं। चौथी एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट **www.ngel.in** पर और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** पर उपलब्ध हैं। यह सूचना सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसिज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की ई-वोटिंग वेबसाइट अर्थात **www.evotingindia.com** पर भी उपलब्ध है।
3. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, समय-समय पर यथा संशोधित और सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्ट्स) विनियम 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में कंपनी को अपने शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करते हुए हर्ष हो रहा है जिससे कि वे एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर सीडीएसएल द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने वोट दे सकेंगे।
4. रिमोट ई-वोटिंग अवधि **मंगलवार, 25 अगस्त, 2026 को प्रातः 9:00 बजे (आईएसटी)** से प्रारंभ होकर **गुरुवार, 27 अगस्त, 2026 को सायं 5:00 बजे (आईएसटी)** समाप्त होगी। इसके पश्चात् सीडीएसएल द्वारा वोटिंग हेतु ई-वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा। शेयरधारक द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट करने के पश्चात्, शेयरधारक को उसके बाद उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। बैठक में भाग लेने, रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग हेतु विस्तृत प्रक्रिया/निर्देश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं।
5. जिन व्यक्तियों के नाम डिपोजिटरीज द्वारा बनाए गए सदस्यों के रजिस्टर अथवा लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में **कट-ऑफ तिथि, अर्थात शुक्रवार, 21 अगस्त, 2026** को दर्ज हैं केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सुविधा लेने के पात्र होंगे। शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार, कंपनी की पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल में से उनके पास मौजूद इक्विटी शेयरों के अनुपात में होंगे। वीसी सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले शेयरधारकों को कंपनी एक्ट, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा।
6. यदि किसी व्यक्ति के पास भौतिक रूप में शेयर हैं अथवा कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करके कंपनी का शेयरधारक बन जाता है और कट-ऑफ तिथि को शेयर हासिल कर लेता है, तो वह **helpdesk.evoting@cdslindia.com** पर अनुरोध भेज कर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि वह रिमोट ई-वोटिंग हेतु सीडीएसएल के पास पहले से पंजीकृत है, तब वह वोट देने हेतु अपनी मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।
7. वे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं लेकिन उन्हें फिर से अपना वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। सदस्य नोट करें कि ई-वोटिंग की सुविधा एजीएम में उपलब्ध करायी जाएगी।
8. निदेशक मंडल ने श्री जितेश गुप्ता, पार्टनर, मैसर्स जे. के. गुप्ता एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव को ई-वोटिंग और रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।
9. सदस्यों से अनुरोध है कि एजीएम सूचना में मुद्रित रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। किसी भी प्रश्न के मामले में, आप **www.evotingindia.com** पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") और ई-वोटिंग मैनुअल देखें अथवा **helpdesk.evoting@cdslindia.com** पर ई-मेल भेजें अथवा 1800 21 09911 पर फोन करें।

एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के लिए
हस्ता/-
(दीपक सीएस)
कंपनी सचिव

स्थान : ग्रेटर नौएडा
दिनांक : 05.08.2026

प्रपत्र– 'जी'

अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

इंटेलीसिटी बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड और एस्कॉट प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में रियल एस्टेट क्षेत्र में काम कर रहे हैं

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के विनियमन 36ए के उप–विनियमन (1) के तहत (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016)

प्रासंगिक विवरण

1.	**कॉर्पोरेट देनदार का नाम साथ में पैन/सीआईएन/एलएलपी नं.**	**इंटेलीसिटी बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड** सीआईएन:U45400DL2012PTC244744 | पैन:AALCA1078L और **इंटेलीसिटी बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड** सीआईएन:U45201DL2006PTC145584 | पैन:AAFCA9317E
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	**इंटेलीसिटी बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड** एम–167, विकासपुरी, नई दिल्ली–110018 और **एस्कॉट प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड,** प्लॉट नंबर यू–155 प्रथम तल, उपाध्याय ब्लॉक शकरपुर, लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के सामने, गेट नंबर 3 और 4, पूर्वी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, शाहदरा, दिल्ली–110092
3.	वेबसाइट का यूआरएल	https://intellicitycirp.in
4.	उस स्थान का विवरण जहां अधिकांश अचल संपत्तियां स्थित हैं	ग्रेटर नोएडा
5.	मुख्य उत्पादों / सेवाओं की स्थापित क्षमता	लागू नहीं
6.	मुख्य उत्पादों की मात्रा और मूल्य / पिछले वित्तीय वर्ष में बेची गई सेवाएं	लागू नहीं
7.	कर्मचारियों / कामगार की संख्या	शून्य
8.	दो वर्षों के अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरण (अनुसूची के साथ), लेनदारों की सूची, प्रक्रिया की बाद की घटनाओं के लिए प्रासंगिक तिथियां सहित अधिक विवरण यहां उपलब्ध हैं	विवरण आरपी से निम्नलिखित आईडी **intellicitycirp@gmail.com** पर मेल करके प्राप्त किया जा सकता है
9.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत समाधान आवेदकों के लिए पात्रता यहां उपलब्ध है	**https://intellicitycirp.in**
10.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	**21 अगस्त 2026**
11.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतरिम सूची जारी करने की तिथि	**26 अगस्त 2026**
12.	अंतरिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	**31 अगस्त 2026**
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	**05 सितंबर 2026**
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स और समाधान योजना के लिए अनुरोध जारी करने की तिथि	**08 सितंबर 2026**
15.	समाधान योजनाएं जमा करने की अंतिम तिथि	**08 अक्टूबर 2026**
16.	ईओआई जमा करने के लिए संसाधित ईमेल आईडी	**intellicitycirp@gmail.com**

नोट: नोट: यह कॉर्पोरेट देनदार इंटेलीसिटी बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड और एस्कॉट प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए संयुक्त EOI है। यह 24.07.2026 के उस आदेश के अनुपालन में है जो 30.07.2026 को IA-3709/2023, IA-3551/2020, IA-4813/2022, IA-4428/2025, IA-3377/2020, IA-4356/2020 (IB-17/ND/2019 में) और IA-72/ND/2025, IA-4810/ND/2025, IA-5453/ND/2025 (IB-541/ND/2023 में) के तहत प्रकाशित हुआ था।

हस्ता/–
मनोज कुलश्रेष्ठा
पंजीकरण सं.:IBBI/IPA-003/IP-N00005/2016-17/10024
पता: 4एफ–सीएस–14, अंसल प्लाजा मॉल, वैशाली, डाबर के सामने, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201010

तिथि : 06.08.2026
स्थान : नई दिल्ली

इंटेलीसिटी बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड और एस्कॉट प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए

JSL JINDAL STAINLESS

जिन्दल स्टेनलेस लिमिटेड

(CIN: L26922HR1980PLC010901)
पंजी. कार्यालय : ओ.पी. जिन्दल मार्ग, हिसार–125 005 (हरियाणा)
फोन : (01662) 222471-83
ई–मेल आईडी: investorcare@jindalstainless.com; **वेबसाइट:** www.jindalstainless.com
कार्पोरेट कार्यालय : जिन्दल सेंटर, 12 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066
फोन : (011) 26188345, 41462000

सदस्यों को 46वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

प्रिय सदस्य (सदस्यगण),

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड की 46वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") बुधवार, 2 सितम्बर, 2026 को दोपहर 12:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी") / अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी। यह बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, दिनांक 8 अप्रैल, 2020 के परिपत्र को 13 अप्रैल, 2020 के परिपत्र एवं समय–समय पर जारी अन्य परिपत्रों जिसमें नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितम्बर, 2025 शामिल है तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों (जिन्हें सामूहिक रूप से "परिपत्र" कहा गया है) के लागू प्रावधानों के अनुपालन में आयोजित की जाएगी। यह बैठक किसी एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी।

46वीं एजीएम की सूचना तथा एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2025–26 हेतु जिसमें 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण दिया गया है, सर्कुलर्स के अनुसार उन सदस्यों को केवल ई–मेल द्वारा भेजे जा रहे हैं, जिनका ई–मेल पता कम्पनी अथवा उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीबद्ध है। सदस्यगण 46वीं एजीएम में केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से जुड़ सकते और भाग ले सकते हैं। 46वीं एजीएम से जुड़ने के लिए अनुदेश तथा रिमोट ई–वोटिंग और 46वीं एजीएम के दौरान ई–वोटिंग में भाग लेने का तरीका 46वीं एजीएम की सूचना में वर्णित किया गया है। वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा 46वीं एजीएम में भाग ले रहे कम्पनी के सदस्यों की उपस्थिति की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत गणपूर्ति की गणना हेतु की जाएगी। 46वीं एजीएम एवं एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.jindalstainless.com पर बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

भौतिक रूप में शेयरों के धारक जिन सदस्यों द्वारा अपना ई–मेल पता कम्पनी में पंजीकृत नहीं करवाया गया है तथा जो 46वीं एजीएम की सूचना तथा एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2025–26 हेतु प्राप्त करने तथा/अथवा ई–वोटिंग सहित वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 46वीं एजीएम से जुड़ने के लिए लॉगइन विवरण प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो अपना ई–मेल पता कम्पनी में पंजीकृत करवा सकते हैं। इस प्रयोजन हेतु वे फोलियो नंबर, पूरा पता और पंजीकृत करवाने हेतु ई–मेल पता के उल्लेखयुक्त हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति, पैन कार्ड और सदस्य के पंजीकृत पता के समर्थन में किसी दस्तावेज की स्व सत्यापित प्रति ई–मेल द्वारा कम्पनी को investorcare@jindalstainless.com पर भेज सकते हैं। डीमैट रूप में शेयरों के धारक सदस्यों से अपना ई–मेल पता केवल उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी (प्रतिभागियों) के पास पंजीकृत करवाने का अनुरोध किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") के दिनांक 30 जनवरी, 2026 के परिपत्र संख्या एचओ/38/13/11(2)2026–एमआईआरएसडी–पीओडी/आई/3750/2026 ("सेबी परिपत्र") के अनुसार, कंपनी के शेयरधारकों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि 1 अप्रैल, 2019 से पूर्व क्रय/विक्रय की गई भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण एवं डीमैट हेतु 5 फरवरी, 2026 से 4 फरवरी, 2027 तक एक विशेष अवधि उपलब्ध कराई गई है। यह विशेष अवधि उन हस्तांतरण अनुरोधों पर भी लागू होगी, जो पहले प्रस्तुत किए गए थे, किंतु दस्तावेजों/प्रक्रिया में कमी अथवा किसी अन्य कारण से अस्वीकृत, वापस कर दिए गए या लंबित रह गए थे। जो शेयरधारक इस विशेष सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता (आरटीए), एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, से संपर्क करें।

इसके अतिरिक्त, जिन सदस्यों के ई–मेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता (आरटीए) अथवा डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें 46वीं एजीएम की सूचना तथा एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन तक पहुँचने के लिए वेब–लिंक उपलब्ध कराने वाला एक पत्र भेजा जाएगा।

वास्ते जिन्दल स्टेनलेस लिमिटेड
हस्ता/–
नवनीत रघुवंशी
हेड लीगल एवं कम्पनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 6 अगस्त, 2026

NIIT MANAGED TRAINING SERVICES

एनआईआईटी लर्निंग सिस्टम्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: प्लॉट नं. 85, सेक्टर 32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरूग्राम – 122001, (हरियाणा)
CIN: L72200HR2001PLC099478; **फोन:** +91 (124) 4293000
वेबसाइट: www.niitmts.com; **ईमेल:** investors@niitmts.com

शेयरधारकों के लिए सूचना
24वीं वार्षिक आम बैठक

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") और सेबी द्वारा जारी सभी लागू परिपत्रों के अनुपालन में सदस्यों की किसी एक जगह पर शारीरिक रूप से मौजूद हुए बिना, वीसी/ओएवीएम के जरिए मीटिंग करने की अनुमति देना, एजीएम की सूचना में निर्धारित कामकाज के निष्पादन के लिए कंपनी के सदस्यों की 24वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 9 सितंबर, 2026 को दोपहर 12:30 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के द्वारा आयोजित की जाएगी। एजीएम का माना गया स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।

वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना कंपनी के उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शुक्रवार, 7 अगस्त, 2026 को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं। जिन शेयरहोल्डर्स की ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, वे एजीएम का नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट ईमेल से पाने के लिए शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 को या उससे पहले अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करवा सकते हैं। उपरोक्त दस्तावेज़ कंपनी की वेबसाइट www.niitmts.com और स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे। एजीएम सूचना और वार्षिक रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए वेबलिंक और क्यूआर कोड प्रदान करने वाला एक पत्र उन सदस्यों को भी भेजा जाएगा, जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया हैं।

सदस्य एजीएम में केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के जरिए ही शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं, और उनकी उपस्थिति को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के लिए गिना जाएगा।

कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ('रिमोट ई–वोटिंग') के माध्यम से रिमोट रूप से वोट देने और वीसी या ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान करेगी। सदस्य एजीएम के दौरान नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') द्वारा प्रदान की गई ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से भी वोट कर सकते हैं। एजीएम की सूचना में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने, रिमोट ई–वोटिंग सुविधा का इस्तेमाल करने और एजीएम के दौरान वोटिंग करने के लिए विस्तृत निर्देश दिए जाएंगे। ये विवरण कंपनी की वेबसाइट www.niitmts.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होंगे। जिन सदस्यों के ईमेल पते उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत नहीं हैं, वे एजीएम सूचना के नोट्स में दिए गए निर्देशों का पालन करके लॉगिन क्रेडेंशियल जनरेट कर सकते हैं। संस्थागत शेयरधारकों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और रिमोट ई–वोटिंग का उपयोग करके वोट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में शामिल होने वाले सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के ज़रिए वोट नहीं दिया है, वे एजीएम के दौरान इस मकसद के लिए उपलब्ध ई–वोटिंग सिस्टम से वोट कर सकते हैं।

बुधवार, 2 सितंबर, 2026, निर्धारित तिथि तक कंपनी में शेयर रखने वाले सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से या एजीएम के दौरान वोट करने के पात्र होंगे। रिमोट ई–वोटिंग अवधि शुक्रवार, 4 सितंबर, 2026 को सुबह 9:00 बजे (आईएसटी) खुलेगी और मंगलवार, 8 सितंबर, 2026 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी) बंद होगी। इस अवधि के बाद, एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के बाद, इसे बदला नहीं जा सकता। यदि कोई सदस्य एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग दोनों के माध्यम से वोट डालता है, तो रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से डाला गया वोट मान्य होगा।

श्री मिलन मलिक, पेशेवर कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएस 9688 और सीओपी संख्या 16614) और उनकी अनुपस्थिति में श्री सुभाष चंदर सेतिया, पेशेवर कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएस 3019 और सीओपी संख्या 23681), लेक्सनेक्सस कॉर्पोरेट सॉल्यिशंस, एलएलपी के नामित भागीदार को एजीएम के दौरान ई–वोटिंग प्रक्रिया और ई–वोटिंग की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है।

जो सदस्य एजीए के दौरान अपनी बात रखना चाहते हैं या सवाल पूछना चाहते हैं, वे अपने पंजीकृत ईमेल एड्रेस से investors@niitmts.com पर रिक्वेस्ट भेजकर खुद को स्पीकर के तौर पर पंजीकृत करवा सकते हैं। रिक्वेस्ट में उन्हें अपना नाम, डीमैट अकाउंट नंबर/फोलियो नंबर, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर बताना होगा। स्पीकर के तौर पर रजिस्ट्रेशन बुधवार, 2 सितंबर 2026 तक खुला रहेगा। सिर्फ वे सदस्य जिनके पास कट–ऑफ तिथि पर शेयर होंगे, वे ही स्पीकर के तौर पर पंजीकृत करने और एजीएम में शामिल होने के हकदार होंगे।

एजीएम से जुड़ा कोई सवाल या जानकारी चाहने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की तिथि से कम से कम सात दिन पहले कंपनी को investors@niitmts.com पर पत्र या ई–मेल भेजें।

लाभांश/स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस)/विदहोल्डिंग टैक्स पर जानकारी:

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 12 मई, 2026 को हुई अपनी बैठक में, 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए रू. 2 की फेस वैल्यू वाले हर इक्विटी शेयर पर रू. 3.25 का लाभांश देने की सिफारिश की। यह सिफारिश एजीएम में सदस्यों की मंजूरी मिलने पर निर्भर है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए लाभांश पाने के हकदार सदस्यों की पहचान करने के लिए गुरुवार, 20 अगस्त, 2026 को रिकॉर्ड तिथि तय किया है। अगर एजीएम में लाभांश को मंजूरी मिल जाती है, तो इसका भुगतान एजीएम की तारीख से 30 दिनों के अंदर उन सदस्यों को किया जाएगा जिनके नाम गुरुवार, 20 अगस्त, 2026 (रिकॉर्ड तिथि) को कामकाज के समय के आखिर में डिपॉजिटरी द्वारा दिए गए रिकॉर्ड में बेनिफिशियल ओनर के तौर पर दर्ज हैं। इस भुगतान पर लागू नियमों के अनुसार टैक्स काटा जाएगा।

18 नवंबर 2025 से सेबी के निर्देशों के अनुसार, लाभांश का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही किया जाएगा। लाभांश वारंट या चेक के जरिए भुगतान की सुविधा बंद कर दी गई है।

शेयरहोल्डर्स से अनुरोध है कि वे रिकॉर्ड तिथि से पहले अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट(ों) के पास अपना ई–मेल पता, बैंक अकाउंट की जानकारी और केवाईसी विवरण पंजीकृत/अपडेट करें।

इनकम टैक्स अधिनियम 2025 ("आईटी अधिनियम") के प्रावधानों के अनुसार, लाभांश से होने वाली आय पर शेयरहोल्डर्स को टैक्स देना होता है, और कंपनी को शेयरहोल्डर्स को किए जाने वाले लाभांश पेमेंट पर तय दरों के हिसाब से सोर्स पर टैक्स (टीडीएस) काटना होता है। कंपनी टीडीएस की सही दर तय कर सके, इसके लिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे एजीएम नोटिस में बताए गए ज़रूरी दस्तावेज़ आईडी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जमा करें।

यह नोटिस एमसीए और सेबी द्वारा जारी लागू सर्कुलरों के अनुपालन में कंपनी के सभी शेयरधारकों की जानकारी और लाभ के लिए जारी किया जा रहा है।

बोर्ड के आदेश से
कृते एनआईआईटी लर्निंग सिस्टम्स लिमिटेड
हस्ता./–
दीपक बंसल
कंपनी सचिव

स्थान: गुरूग्राम
दिनांक: 5 अगस्त, 2026

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि.
मेडिकल खण्ड, जोधपुर

क्रमांक: अज/मेख/जोध/अल्प. ई–निविदा/2026–27/510 दिनांक 01.08.2026

निविदा सूचना संख्या: 01/2026–27

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से सार्वजनिक निर्माण विभाग मेडिकल खण्ड, जोधपुर के अधीनस्थ विभिन्न कार्यों हेतु उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / डाक एवम् दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों/वे संवेदक जो कन्सलटेन्सी में अनुभव रखते हो एवं पंजीकृत न हो, जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त